भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2499

उत्तर देने की तारीख 3 अगस्त, 2026

सोमवार, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

आईटीआई के पाठ्यक्रम

2499. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पाठ्यक्रम की समीक्षा या मूल्यांकन किया है;

(ख) इस हेतु किए गए मूल्यांकनों, परामर्शों, इसमें शामिल हितधारकों और प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पाठ्यक्रम में कितने संशोधन किए गए हैं और अगले नियोजित संशोधनों की समय-सीमा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसी उभरती हुई उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप आईटीआई पाठ्यक्रमों के आधुनिकीकरण और विविधता लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) पाठ्यक्रम आरंभ करते समय अथवा संशोधित करते समय श्रम बाजार की मांग का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र अपनाया गया है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देशभर में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप 170 पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। आईटीआई के माध्यम से संचालित सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हैं तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित हैं। पाठ्यचर्याओं का पुनरीक्षण तकनीकी प्रगति, व्यावसायिक मानकों में परिवर्तन तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यकता के आधार पर अथवा एनसीवीईटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाता है।

(ख) पाठ्यचर्याओं की समीक्षा एवं पुनरीक्षण एक सतत तथा आवश्यकता-आधारित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उन्हें तकनीकी प्रगति तथा उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वर्तमान पाठ्यचर्याओं का आकलन उभरती प्रौद्योगिकियों, बदलते व्यावसायिक मानकों, उद्योग की मांग, नियोजन की प्रवृत्तियों, शिक्षुता संबंधी आवश्यकताओं, प्रशिक्षण परिणामों तथा कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर किया जाता है।

पाठ्यचर्या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, उद्योग प्रतिनिधियों, क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी), राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई), विषय-विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नियोजकों, कार्यान्वयन एजेंसियों तथा आवश्यकतानुसार अन्य मंत्रालयों/विभागों सहित विभिन्न हितधारकों से व्यापक परामर्श किया जाता है।

मूल्यांकन तथा हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर पाठ्यक्रमों में नई प्रौद्योगिकियों, उद्योग 4.0 के अनुप्रयोगों, कृत्रिम मेधा (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), स्वचालन, हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, विद्युत गतिशीलता (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी), डिजिटल कौशल, उद्यमशीलता, कार्यस्थल सुरक्षा, पर्यावरणीय टिकाऊपन तथा परिणाम-आधारित शिक्षण को शामिल करते हुए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

(ग) पहले, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत पाठ्यचर्याओं का पुनरीक्षण प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 लागू होने तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा (एनसीआरएफ) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अब इनका पुनरीक्षण प्रत्येक तीन वर्ष में किया जा रहा है। वर्तमान में, सीटीएस के 40 पाठ्यचर्याओं का पुनरीक्षण किया जा चुका है।

शेष पाठ्यचर्याओं का पुनरीक्षण तकनीकी प्रगति एवं उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

(घ) डीजीटी द्वारा आईटीआई में महिलाओं के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(i) निर्धारित प्रवेश अर्हताओं के आधार पर महिला अभ्यर्थी आईटीआई के माध्यम से संचालित शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत सभी एनएसक्यूएफ-अनुरूप पाठ्यक्रमों, जिनमें 32 नव युगीन/भावी कौशल पाठ्यक्रम भी शामिल हैं, में प्रवेश लेने के लिए पात्र हैं। 170 पाठ्यक्रमों में से सात (07) पाठ्यक्रम, अर्थात् ड्रेस मेकिंग, सिलाई प्रौद्योगिकी, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स (कढ़ाई), कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी तथा स्पा थेरेपी, महिलाओं के लिए विशेष रूप से संचालित किए जाते हैं।
(ii) भारत सरकार ने सभी राजकीय और निजी आईटीआई में सभी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत सीटों का आरक्षण अनुमोदित किया है। इन सीटों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की सामान्य आरक्षण नीति के अनुसार भरा जा सकता है।
(ङ) डीजीटी द्वारा कृत्रिम मेधा, मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), औद्योगिक रोबोटिक्स, उन्नत विनिर्माण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिकी, सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में भावी उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप जॉब रोल्स के लिए 32 नव युगीन/आधुनिक कौशल पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, उद्योग की बदलती मांग तथा भावी कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप कौशलोन्नयन तथा पुनर्कौशलीकरण के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नए अल्पकालिक, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत इन 32 नव युगीन ट्रेडों की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(च) नए पाठ्यक्रम शुरू करने तथा वर्तमान पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण के लिए श्रम बाजार की मांग का आकलन कौशल अंतराल अध्ययनों तथा उद्योगों, सेक्टर कौशल परिषदों, जिला कौशल समितियों, नियोजकों, उद्योग संघों, राज्य सरकारों, प्रशिक्षण संस्थानों एवं विषय-विशेषज्ञों के साथ निरंतर परामर्श के माध्यम से किया जाता है। पाठ्यचर्याओं के विकास एवं पुनरीक्षण के दौरान उद्योग की आवश्यकताओं, तकनीकी प्रगति, व्यावसायिक मानकों, नियोजन रुझानों, शिक्षुता के अवसरों तथा उभरती कौशल आवश्यकताओं से संबंधित सुझावों पर समुचित विचार किया जाता है। यह परामर्श-आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहें, प्रशिक्षुओं की रोजगार-क्षमता में वृद्धि हो तथा वे अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

अनुलग्नक-I

दिनांक 03.08.2026 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2499 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक -I

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत नव युगीन/आधुनिक कौशल पाठ्यक्रमों की सूची:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	एनएसक्यूएफ़ स्तर
1.	5G नेटवर्क टेक्नीशियन	एक वर्ष	4.5
2.	एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3D प्रिंटिंग) टेक्नीशियन	दो वर्ष	3.5
3.	एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट फिटर	दो वर्ष	4
4.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	एक वर्ष	3.5
5.	सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन	दो वर्ष	4
6.	कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग (CAM) प्रोग्रामर	एक वर्ष	3.5
7.	साइबर सिक्योरिटी असिस्टेंट	एक वर्ष	3.5
8.	डेटा एनोटेशन असिस्टेंट	एक वर्ष	3.5
9.	ड्रोन पायलट (जूनियर)	छः माह	3
10.	ड्रोन टेक्नीशियन	छः माह	3
11.	इंजीनियरिंग डिज़ाइन टेक्नीशियन	एक वर्ष	3.5
12.	फाइबर टू होम टेक्नीशियन	छः माह	3
13.	जियो-इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट	एक वर्ष	3.5
14.	ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नीशियन	एक वर्ष	3.5
15.	इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IIoT) टेक्नीशियन	दो वर्षs	4.0
16.	इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग	एक वर्ष	3.5
17.	इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	दो वर्ष	4
18.	इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स टेक्नीशियन (स्मार्ट एग्रीकल्चर)	एक वर्ष	3.5
19.	इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स टेक्नीशियन (स्मार्ट सिटी)	एक वर्ष	3.5
20.	इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स टेक्नीशियन (स्मार्ट हेल्थकेयर)	एक वर्ष	3.5
21.	मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल और ऑटोमेशन	एक वर्ष	3.5
22.	मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल	दो वर्ष	4
23.	मल्टीमीडिया, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स	एक वर्ष	3.5
24.	सेमीकंडक्टर टेक्नीशियन	एक वर्ष	4.5
25.	स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट टेक्नीशियन	दो वर्ष	4
26.	स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम ऐप टेस्टर	छः माह	3.5
27.	सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट	एक वर्ष	4.5
28.	सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल)	एक वर्ष	3.5
29.	टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स	दो वर्ष	4
30.	वर्चुअल एनालिसिस और डिज़ाइनर - FEM (फाइनाइट एलिमेंट मेथड)	दो वर्ष	4
31.	विंड प्लांट टेक्नीशियन	दो वर्ष	4
32.	न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नीशियन	दो वर्ष	4
